राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–।।/ 16120 –26 दिनांक :–24 सितम्बर 2013

आदेश संख्या 248 /2013–14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार से लेखाकार पद पर पदौन्नति हेतु गठित विभागीय पदौन्नति समिति वर्ष 2011–12 की बैठक में श्री बादामी लाल जैन कनिष्ठ लेखाकार (895/86) जन्म तिथी 02.09.1962 के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत विचाराधीन जांच प्रकरण में विभागीय आदेश संख्या 268–'271 दिंनाक 01.07.2013 के द्वारा आरोपों से मुक्त करते हुये प्रकरण समाप्त कर दिये जाने के कारण विभागीय पदौन्नती समिति 2011–12 के द्वारा श्री बादामी लाल जैन कनिष्ठ लेखाकार (895/86) को 2011–12 की रिक्तियों के विरूद्ध लेखाकार के पद पर चयन मानते हुए नियमित चयन आदेश तथा पदस्थापन आदेश जारी किये जाने की अनुशंषा की गई हैं।

श्री बादामी लाल जैन (लिंक नम्बर 3506) की वरिष्ठता वर्ष 2011–12 में चयनित लेखाकारों की सूची में श्री सतीश कुमार गुप्ता (मेरिट नम्बर 892/86) तथा श्री टीकम चन्द गुप्ता (मेरिट नम्बर 896/86) के मध्य रहेगी।

श्री बादामी लाल जैन को लेखाकार के पद पर चयनित वर्ष की अन्तिम तिथि 31.03.2011 से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण हेतु केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।

श्री बादामी लाल जैन कनिष्ठ लेखाकार पदौन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में में लेखाकार के अस्थाई क्रमोन्नत पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है ।

उक्त आदेश विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन/ लम्बित प्रकरणों के निर्णयाधीन होगा ।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा

क्रमांकः– एफ. 3 (ख) (1) अलेसे–।।/ 16120–26 दिनांक :–24 सितम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (महानरेगा) बांसवाडा
2. कोषाधिकारी, बांसवाडा
3. श्री बादामी लाल जैन कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, महानरेगा, बांसवाडा
4. अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–।।) को भेजकर निवेदन है कि श्री बादामी लाल जैन कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली पूर्ण कर भिजवाने की व्यवस्था करावें ।
5. निजी सहायक निदेशक महोदय
6. गोपनीय/डी.पी.सी/कम्प्युटर अनुभाग
7. निजी पत्रावली/ रक्षित पंजिका

(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)